"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 अगस्त 2009—श्रावण 12, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-1/2002/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्यपाल सचिवालय तथा हाऊस होल्ड सेवा (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2002" में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

(1) उक्त नियम की अनुसूची में,

1. अनुसूची-एक के शीर्ष (अ) राज्यपाल का सचिवालय के सरल क्रमांक 4, 5, 10 एवं 12 के कॉलम क्रमांक 4 की प्रविष्टियों 3, 4, 6 एवं 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाये :—

   "4, 5, 7 तथा 10"

2. अनुसूची-एक के शीर्ष (अ) राज्यपाल का सचिवालय के सरल क्रमांक 13 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा

प्रविष्टियां जोड़ा जाये :—

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	परीक्षा/चयन/साक्षात्कार के द्वारा सीधी भर्ती	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण से प्रति-नियुक्ति द्वारा	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3050-75-3950-80-4590	1	तृतीय	100%	-	-	-
15	बटलर	3050-75-3950-80-4590	1	चतुर्थ	-	100%	-	-
16	हाऊस बियरर	2610-60-3150-65-3540	2	चतुर्थ	-	100%	-	-

3. अनुसूची-दो के शीर्ष (अ) राज्यपाल का सचिवालय के सरल क्रमांक-1 के कॉलम क्र. 5 में शब्द "कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान वांछनीय होगा." के स्थान पर शब्द "मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये." प्रतिस्थापित किया जाए.

4. अनुसूची-दो के शीर्ष (अ) राज्यपाल का सचिवालय के सरल क्रमांक 1-क के कॉलम क्र. 5 में शब्द "कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक होगा." के स्थान पर शब्द "मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये." प्रतिस्थापित किया जाए.

5. अनुसूची-दो के शीर्ष (अ) राज्यपाल का सचिवालय के सरल क्रमांक-4 के कॉलम क्र. 5 में शब्द "(स्टेनोटायपिस्ट के लिए)" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाए :—

" तथा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिये."

6. अनुसूची-दो के शीर्ष (अ) राज्यपाल का सचिवालय के सरल क्रमांक-5 के कॉलम सं. 5 में शब्द "कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान वांछनीय होगा." के स्थान पर शब्द "मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये." प्रतिस्थापित किया जाए.

7. अनुसूची-दो के शीर्ष (अ) राज्यपाल का सचिवालय के सरल क्रमांक 5 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक 5-क एवं उससे संबंधित कॉलम 2, 3, 4 एवं 5 में प्रविष्टियां अंतःस्थापित किया जाये :—

1	2	3	4	5
5-क	कम्प्यूटर ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनिट की गति के साथ हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र डाटा एण्ट्री का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये.

8. अनुसूची-दो के शीर्ष (ब) हाऊस होल्ड के सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक 2-क तथा कॉलम 2, 3, 4 एवं 5 में उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाये :—

1	2	3	4	5
2-क	केशियर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनिट की गति के साथ हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा डाटा एण्ट्री का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2009

क्रमांक एफ 2-1/2002/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-08-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 3rd August 2009

NOTIFICATION

No. F 2-1/2002/1/One.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in "Chhattisgarh Governor Secretariat and House-hold Service (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2002", namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rule,

(1) For entries 3, 4, 6 and 8 of Column number 4 of serial number 4, 5, 10 and 12 of head (A) Governor's Secretariat of Schedule-One the following entries shall be substituted :—

"4, 5, 7 and 10"

(2) After serial Number 13 of head (A), Governor's Secretariat of Schedule-One, the following serial number and

entries thereto shall be added :—

No.	Name of Post	Pay Scale	No. of Post	Classification of Post	Direct recruitment by exam/ selection/ Interveiw	By Promotion	By transfer of other services or deputation	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Computer Operator	3050-75-3950-80-4590	1	III	100%	-	-	-
15	Butlar	3050-75-3950-80-4590	1	IV	-	100%	-	-
16	House Bearer	2610-60-3150-65-3540	2	IV	-	100%	-	-

(3) In column number 5 of serial number 1 of Head (A) Governor's Secretariat of Schedule-Two, for the words "working knowledge of Coumputer is desirable" the words "One year Diploma Certificate in Data Entry Operator/Programming from a recognized institute and should have Data Entry speed 10,000 key depression per hour" shall be substituted.

(4) In column number 5 of serial number 1-a of Head (A) Governor's Secretariat of Schedule-Two, for the words "working knowledge of Coumputer is desirable" the words "One year Diploma Certificate in Data Entry Operator/Programming from a recognized institute and should have Data Entry speed 10,000 key depression per hour" shall be substituted.

(5) In column number 5 of serial number 4 of Head (A) Governor's Secretariat of Schedule-Two, after the words "(for steno-typist)" the following words shall be added :—

"and one year Diploma Certificate in Data Entry Operator/Programming from a recognized institute and should have Data Entry speed 5,000 Key depression per hour."

(6) In column number 5 of serial number 5 pf Head (A) Governor's Secretariat of Schedule-Two, for the words "working knowledge of Coumputer is desirable" the words "One year Diploma Certificate in Data Entry Operator/Programming from a recognized institute and should have Data Entry speed 5,000 key depression per hour" shall be substituted.

(7) After serial number 5 of Head (A) Governor's Secretariat of Schedule-Two, the following serial No. 5-A and entries relating thereto in column number 2, 3, 4 and 5 shall be inserted.

1	2	3	4	5
5A	Computer Operator	18 yrs	35 yrs	1. HSSC or 10+2 exam. passed from recognized board. 2. Hindi Typing exam passed with 25 words per minute speed from reconized board/institution. 3. One year Diploma Certificate in Data Entry Operator/ Programming from a recognized institute and should be data Entry speed 5000 key depression per hour.

(8) After serial number 2 of Head (B) Household of Schedule-Two, the following serial No. 2-A and entries

relating thereto in column number 2, 3, 4 and 5 shall be inserted.

1	2	3	4	5
2A	Cashier	18 yrs	35 yrs	1. HSSC or 10+2 exam. passed from recognized board. 2. Hindi Typing exam passed with 25 words per minute speed from reconized board/institution. 3. One year Diploma Certificate in Data Entry Operator/ Programming from a recognized institute and should be data Entry speed 5000 key depression per hour.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.